

विधानसभा में आज कई बार विपक्ष ने हंगामा किया

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में सोमवार को विपक्ष के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा किया। सदन में सोमवार को प्रश्नकाल, शून्यकाल और उसके बाद भी विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया। शून्यकाल के बाद जब बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सदस्य गोविंद सिंह डोटसरा बोल रहे थे तब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की डोटसरा पर की गई टिप्पणी को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। डोटसरा जब बोल रहे थे तो आखिर में टोकते हुए दिलावर ने कहा कि डोटसराजी आप तो जेल जाने की तैयारी करो। इस पर विपक्ष के सदस्यों के शोर मचाते हुए बोलने से सदन में शोरगुल और हंगामा हुआ। इस पर जूली ने कहा कि मंत्री कानून से ऊपर हैं क्या, मंत्री के पास कहां जेल भेजने के अधिकार हो गए। हंगामा बढ़ते देख अध्यक्ष ने शांत होने के लिए कहा लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ। इस दौरान संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल भी बोलें। बाद में देवनांनी ने कहा कि जो भी असंसदीय शब्द हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा। इसके बाद मामला शांत हो गया।

इससे पहले प्रश्नकाल के समाप्त होने से कुछ समय पहले जब पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस सदस्य शांति धारीवाल के प्रदेश में पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के बारे में किए सवाल एवं पूरक प्रश्न का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब दिया लेकिन धारीवाल उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा कि मंत्री यह बताये

‘ई-मित्र के कारण वृद्धजन की पेंशन रुकने पर कार्रवाई होगी’

जयपुर, (वि.सं.)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में ई-मित्र संचालकों द्वारा गलत सत्यापन होने के कारण वृद्धजन पेंशनरों का पेंशन से वंचित रह जाना गंभीर मामला बताते हुए आश्वस्त किया कि ऐसे ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध जांच कर समुचित कार्रवाई की जाएगी तथा दोषी पाए जाने पर उनका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। गहलोत ने प्रश्नकाल में

■ बजट पर चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की गोविंद सिंह डोटसरा पर की गई टिप्पणी को लेकर जोरदार हंगामा हुआ

■ प्रश्नकाल में शांति धारीवाल के प्रदेश में पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के बारे में किए सवाल का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब दिया तो धारीवाल उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और कांग्रेस सदस्यों ने नारेबाजी की

■ शून्यकाल में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट की योजनाओं का मुद्दा उठाया और प्रदेश की भजनलाल सरकार पर कांग्रेस के विधायकों की अनदेखी करने का आरोप लगाकर हंगामा मचाया

कि योजना में गत वर्ष कितनी राशि खर्च हुई है, जिसका जवाब नहीं मिला है। इस पर विपक्ष के अन्य सदस्य भी खड़े हो गए और जवाब दो, जवाब दो नारेबाजी शुरू कर दी। जिससे सदन में हंगामा हुआ। दो मिनट बाद प्रश्नकाल समाप्त होने पर हंगामा शांत हो गया।

इसके बाद शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के तहत बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट की योजनाओं का मुद्दा उठाया और प्रदेश की भजनलाल सरकार पर कांग्रेस के विधायकों को अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बाकायदा एक पत्र जारी कर जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव मांगे गए, जनता ने जिन्हें नकार दिया और जो चुनाव हार गए उनके प्रस्ताव शामिल

कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार सड़क कार्यों का बजट बनाने से पहले राज्य सरकार हर क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधि से सुझाव मांगती है और फिर जरूरत के अनुसार उन्हें बजट में शामिल करती है लेकिन भजनलाल सरकार ने कांग्रेस विधायकों से कोई सुझाव नहीं मांगा। उनकी बजाय उसी क्षेत्र के हारे हुए भाजपा प्रत्याशियों से सुझाव लेकर बजट की योजनाएं बनाई गई। ऐसी पहली बार हुआ है और यह नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि बजट भी 10 करोड़ रुपये से घटाकर पांच करोड़ रूपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जो चुनाव हार गए हैं उनसे विकास कार्यों की राय ली जा रही है ऐसे में चुने हुए

जनप्रतिनिधि कहा जाएगा।

जूली बोले विधानसभा का सबसे बड़ा सदस्य विधायक होता है जिसे स्थानीय जनता चुनती है। लेकिन पहली बार विधायक को सलाह न लेकर एक हारे हुए प्रत्याशी को सलाह से सड़क निर्माण की बजट योजनाएं बनाई गई हैं। यह सरकार क्या एक हारे हुए नेता को जनप्रतिनिधि मानती है। उन्होंने कहा कि इस सरकार को पाबंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा वह इस मामले में अध्यक्ष का संरक्षण चाहते हैं कि वे इस पर जवाब मांगें और इन योजनाओं को पास करने से पहले मतदान कराएं। इस दौरान जूली ने सरकार से पूछा कि सरकार बजट योजनाओं पर मतदान कराने से क्यों डर रही है। अध्यक्षजी आप मतदान क्यों नहीं करवा रहे हैं।

सोमवार को भी भादरा चुनाव और शिक्षा मंत्री दिलावर के डीएनए के बयान की गुंज सदन में गुंजती रही। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विपक्ष ने भादरा चुनाव को लेकर दो सप्ताह बीत जाने के बाद भी सरकार के अस्पष्ट रुख के प्रति जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने इस पूरे मामले में संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह संविधान खत्म करने की साजिश है, इस दौरान सदन में न्याय दो-न्याय दो के नारे गुंजते रहे, इधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासियों के खिलाफ दिए गए बयान के बाद अभी तक माफी नहीं मांगे जाने से भी विपक्ष विपक्ष सदन में हंगामा करता दिखाई दिया।

‘वर्तमान में होमगार्डों को दिया जा रहा है विराम भत्ता’

जयपुर, (वि.सं.)। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में होमगार्डों के वेतन से वंचित कर दिया जा रहा है।

खराड़ी प्रश्नकाल में पूरक विधायक अमृतलाल मीणा के प्रश्न पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि गत सरकार द्वारा छह मई 2022 को विराम भत्ता दिया जाना स्थगित कर दिया गया था लेकिन अब गत 27 फरवरी से यह भत्ता नियमानुसार फिर देना शुरू कर दिया गया है।

‘प्रस्ताव पर बस्सी में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन होंगे’

जयपुर, (वि.सं.)। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने सोमवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि बस्सी विधानसभा क्षेत्र में जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की कार्यवाही की जाएगी।

कुमार प्रश्नकाल में विधायक लक्ष्मण के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बस्सी में गोदाम निर्माण से शेष रही 22 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी प्रस्ताव मंगवाकर गोदाम निर्माण करवाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र बस्सी में ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित सात ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिए जिला कलक्टर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

‘फर्जी पदाधिकारी बन गैरकानूनी काम करने वालों पर कार्रवाई होगी’

जयपुर, (वि.सं.)। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि कूटचित दस्तावेजों से संस्थाओं के फर्जी पदाधिकारी बनकर बंद पड़ी संस्थाओं की भूमि पर कब्जा करने जैसे गैरकानूनी कार्य करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कुमार शून्यकाल में विधायक

विधायकों को वीडियो अंश अब अगले दिन मिल सकेंगे

■ विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनांनी की पहल पर यह व्यवस्था पहली बार लागू हुई है

■ वीडियो अंश ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनांनी ने कहा है कि सत्र के दौरान सदन में विधायकों के उद्बोधनों के वीडियो अंश अब अगले दिन ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में वीडियो अंश पहली बार ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनांनी की पहल पर यह व्यवस्था लागू हुई है। अध्यक्ष देवनांनी ने सोलहवाँ विधानसभा के दूसरे सत्र में इस नवाचार की जानकारी देते हुए सदन को अवगत कराया कि इस पहल से विधायकों के साथ ही उनके क्षेत्र के लोग व प्रदेशवासी क्षेत्रीय विधायक को सदन में सक्रियता से परिचित हो सकेंगे।

देवनांनी ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही की ऑनलाइन व्यवस्था है। सदन में

विधायकों के उद्बोधन के दौरान वीडियो अंश दिये जाने की व्यवस्था भी है। अभी तक विधायकों को उनके उद्बोधनों के वीडियो अंश सत्र समाप्ति के पश्चात उपलब्ध कराये जाते थे। अध्यक्ष देवनांनी ने बताया कि वर्तमान में बदलते परिवेश में डिजिटल मीडिया के महत्व को देखते हुए सदन में संबंधित विधायकों के उद्बोधन के अंश अब एक

दिन पश्चात उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि जन-जन को विधायकों की सदन में सक्रियता की जानकारी मिल सके। देवनांनी ने यह निर्णय वर्तमान की आवश्यकता को देखते हुए लिया है।

विधानसभा में अध्यक्ष देवनांनी की सोच और उनकी पहल से यह सम्भव हुआ है। देवनांनी ने बताया कि विधायकों को उनके द्वारा सदन में दिये जाने वाले उद्बोधनों के वीडियो अंश जो वर्तमान में सत्र की समाप्ति पर पैन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते थे, अब उन्हें राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवश्यक नियमानुसृत एडिटिंग करके एक दिवस पश्चात उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने बताया कि वीडियो अंश उपलब्ध कराये जाने वाली यह नवीन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

बजट में शिव विधानसभा का नाम तक नहीं : भाटी

जयपुर, (वि.सं.)। शिव विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रविंद सिंह भाटी ने कहा कि पूरे बजट में शिव विधानसभा क्षेत्र को कुछ नहीं मिला है। बजट में एक जगह भी शिव क्षेत्र का नाम तक नहीं है। क्षेत्र की जनता ने मुझसे पूछा कि बजट में कुछ नहीं दिया गया। मैंने कहा कि शायद मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा, इसलिए कुछ नहीं मिला। सरकार ने शिव क्षेत्र के लोगों के अधिकार और मूलभूत सुविधाओं पर यह कुठाराघात है।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत संस्थाओं का पंजीकरण किया जाता है। अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं को प्रतिवर्ष रजिस्ट्रार, संस्थाएं कार्यालय में वार्षिक सूची दाखिल करनी होती है। संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई पदाधिकारियों की सूची में से ही किसी के आवेदन करने पर मूल दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जाती है।

अपशिष्ट का उचित निस्तारण नहीं करने पर औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी : संजय शर्मा

जयपुर, (वि.सं.)। पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सोमवार को राज्य विधानसभा में कहा कि किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा अपशिष्ट निस्तारण के संबंध में नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

शर्मा प्रश्नकाल में विधायक दीपति किरण माहेश्वरी के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने राजसमन्द में

मार्बल स्लरी की अवैध डंपिंग का सर्वे कारकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि राजसमन्द जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट का उचित निस्तारण न किया जाना बेहद चिंता का विषय है।

उन्होंने सदन में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी उद्योग को यह छूट नहीं है कि वे औद्योगिक

अपशिष्ट के माध्यम से उस क्षेत्र विशेष के जल संसाधन और पर्यावरण को दूषित करें और वहां के निवासियों तथा किसानों को तत्कालीन पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि राजसमन्द में मार्बल स्लरी का निस्तारण नहीं अन्यत्र न करके निर्धारित डंपिंग यार्ड में ही किया जाना सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों में

निर्देशित किया जाएगा। उन्होंने हिंदुस्तान जिक औद्योगिक इकाई द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट का उचित निस्तारण नहीं किये जाने के सन्दर्भ में सचेत करते हुए कहा कि जिले में संचालित किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा विभाग के नियमों की पलना नहीं किये जाने जाने पर राज्य सरकार इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने में पीछे नहीं हटेगी।

हिंगौनिया गौशाला के बाड़ों में कीचड़ 6 इंच की मोटाई में जमा हुआ मिला

ग्रेटर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने सोमवार सुबह चेयरमैन व पशु प्रबंधन शाखा के अधिकारियों के साथ किया था गौशाला का औचक निरीक्षण

जयपुर (कासं.)। हिंगौनिया गौशाला के बाड़ों में 6 इंच से ज्यादा कीचड़ फैला हुआ है। गावों के लिए चारा भी पर्याप्त नहीं है। गंदगी के कारण गौवंश की दुर्दशा होती देखकर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने सोमवार सुबह हिंगौनिया गौ-पुनर्वास केन्द्र के



महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने हिंगौनिया गौ-पुनर्वास केन्द्र का औचक निरीक्षण किया।

- मेयर ने इस लापरवाही पर जवाब मांगा तो गौ-पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी डॉ. अशोक मीणा और गौशाला प्रबंधन बगलें झांकता नजर आया
- महापौर एम.ओ.यू. की शर्तों की पालना नहीं करने पर श्रीकृष्ण-बलराम ट्रस्ट और निगम के डॉ. अशोक मीणा के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए

प्रभारी डॉ. अशोक मीणा और अक्षयपात्र ट्रस्ट के लोगों को फटकार लगाई। दरअसल महापौर सोमवार सुबह करीब साढ़े 9 बजे अचानक हिंगौनिया गौशाला पहुंच गईं। उनके साथ चेयरमैन अरूण वर्मा, शंकरलाल शर्मा, नरेन्द्र सिंह और

उपायुक्त पशु प्रबंधन, प्रभारी चिकित्सक और श्रीकृष्ण-बलराम ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद थे। महापौर ने गौशाला में गावों के चारे की व्यवस्था, गौवंश के स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान गावों के पास ना तो चारा मिला और ना ही बाड़ों साफ-सफाई। मेयर जब गावों के बाड़ों में पहुंची तो वहां पर करीब 6 इंच तक मोटाई कीचड़ और गंदगी जमी मिली। गौवंश को कष्ट में देखकर महापौर का पारा हाई हो गया। उन्होंने इस बारे में हिंगौनिया गौ-पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी डॉ. अशोक कुमार मीणा से इस बारे में जवाब मांगा तो वे बगलें झांकते नजर आए यही

हाल गौशाला की देखरेख कर रहे बलराम ट्रस्ट के पदाधिकारियों का रहा। मेयर ने गौवंश की दुर्दशा देखते हुए आयुक्त रूकमणि रिवाड़ को नोटिस लिखकर हिंगौनिया गौ-पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक डॉ. अशोक कुमार मीणा के खिलाफ कार्रवाई करने और एम.ओ.यू. की शर्तों की पालना नहीं करने पर बलराम ट्रस्ट के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। महापौर ने कहा कि हिंगौनिया गौशाला में गौवंश की अच्छी सेवा के नाम पर जिस अक्षयपात्र ट्रस्ट ने इसकी सारा संचालन का जिम्मा लिया था, अब वह एम.ओ.यू. की शर्तों की पालना नहीं कर रहा है।

गोपालपुरा मोड से त्रिवेणी पुलिया तक करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र में हटाए 150 अतिक्रमण

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण ने सामूहिक अभियान चलाकर सोमवार को गोपालपुरा मोड से त्रिवेणी पुलिया तक सड़क के दोनों तरफ करीब 3 कि.मी. के दायरे में 150 अतिक्रमणों को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त किया।

जयपुर विकास आयुक्त मंजू राजपाल ने बताया कि नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खरॉ ने पंत 9 जुलाई को जयपुर शहर में मुख्य सड़कों और सेक्टर रोड पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। ताकि शहर में यातायात आवागमन में उठाओं को बेवजह कोई परेशानी नहीं लगती पड़े। यूडीएच मंत्री के निर्देशानुसार प्रवर्तन विंग के मुखिया महेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम ने गोपालपुरा मोड



से त्रिवेणी पुलिया तक करीब 3 किलोमीटर दूरी में 150 कच्चे-पक्के अतिक्रमण हटाए हैं। महेंद्र शर्मा ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मकान-दुकानों के बाहर अत्यधिक लम्बाई में

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को कोई ऐसी व्यूह रचना बनाने की आवश्यकता है कि एक बार कोई पकड़ा जाए तो फिर कानूनन वह किसी स्तर पर छूटे नहीं। राज्यपाल ने यह बात सोमवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्थापना दिवस पर संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कहीं किसी स्तर पर भ्रष्टाचार होना पाया जाता है तो त्वरित उसकी शिकायत की जाए ए.सी.बी. भी पुख्ता सबूत इस तरह से जुटाएं जाएं कि अपराधी को साक्ष्य के अभाव का लाभ नहीं मिले। उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की चर्चा करते हुए कहा कि सार्वजनिक सेवा में अपने पद का, रूतबे का और अधिकार के रूप में प्राप्त जानकारी का दुरुपयोग किया जाता है तो वह भी भ्रष्ट आचरण की ही आगू। इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधाश पंत ने कहा कि अधिकारियों को नियंत्रित लेना चाहिए और तत्काल उसके क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित



राज्यपाल कलराज मिश्र ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्थापना दिवस पर सोमवार को जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया।

किया जाए इससे भ्रष्टाचार को काफी हद तक होने से रोका जा सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार की लोकायुक्त को सीधे राशि ट्रांसफर योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इससे 22 हजार करोड़ की केंद्र को और 5 हजार करोड़ की बचत राज्य सरकार को हुई है। उन्होंने फाइल निपटान के स्तर को कम

किए जाने पर भी जोर दिया। पंत ने कहा है कि फाइल को रोककर रखना भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण हो सकता है। मैं एक फाइल का डिस्पोजल 24 मिनट में कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के स्तर पर यह निर्णय लिया गया की राज्य में सरकारी कार्य में देरी नहीं हो। इसके लिए

फाइल निपटान के समय को सभी स्तरों पर कम किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी अपने कार्य को प्रभावी ढंग से अंजाम दे। स्वयं ईमानदार रहे और ईमानदारी को नीचे के स्तर पर सुनिश्चित भी करें। पुलिस महानिदेशक उक्कल रंजित साहू ने कहा कि लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय प्रभावी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारी और विजिलेंस शाखाएं भ्रष्टाचार मुक्त राज्य को वाषिक कार्य सहायिता निभाएं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक रवि प्रकाश मेहराज ने कहा कि भ्रष्टाचार राष्ट्र और राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधी सर्वाधिक कार्यवाही की जाती है। राज्यपाल ने इस अवसर पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित स्थापना दिवस पोस्टर जोरी टॉलरेंस नीति अपनाने “भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण” का लोकार्पण किया। उन्होंने संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया।